विधान परिषद के तृतीय सत्र, 2024 के प्रथम गुरूवार हेतु निर्धारित डा0 मान सिंह यादव, मा0 सदस्य विधान परिषद द्वारा पूछे गये अतारांकित प्रश्न संख्या-37 का उत्तर।

	प्रश्न	उत्तर
37	**(क)** क्या उप मुख्य मंत्री (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य) बतायेंगे कि जिला महिला चिकित्सालय, अयोध्या में लिपिकीय कार्य फार्मासिस्ट से लिये जाने हेतु शिकायती पत्र की जॉच करा कर शिकायती पत्र में किये गये अनुरोधानुसार कार्यवाही कराते हुए जांच आख्या उपलब्ध कराये जाने हेतु निदेशक प्रशासन चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, उ0प्र0 के पत्र संख्या-4डी(1)/विविध/2023/3000 दिनांक 02.06.2023 जो कि मुख्य चिकित्सा अधीक्षिका जिला महिला चिकित्सालय, अयोध्या को सम्बोधित था, प्राप्त हुआ है?	जी हां।
	(ख) यदि हाँ, तो उक्त पत्र के मुख्य बिन्दु क्या थे और मुख्य बिन्दुओं के आधार पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी है?	निदेशक(प्रशासन), चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, उ0प्र0 के पत्र दिनांक 02.06.2023 द्वारा श्री गौरव सिंह पुत्र श्री विनय सिंह रकावगंज, अयोध्या के पत्र के मुख्य बिन्दुओं का उल्लेख किया गया हैं:- मुख्य चिकित्सा अधीक्षिका, जिला महिला चिकित्सालय, अयोध्या में नियम के विरूद्ध लिपिकीय कार्य फार्मासिस्ट से कराये जा रहे हैं। महिला चिकित्सालय में समस्त लिपिकीय कार्य फार्मासिस्ट संवर्ग तथा अन्य संविदा कर्मियों द्वारा ही किये जाते हैं, जिससे महिला चिकित्सालय में कार्यरत अन्य स्टॉफ में काफी रोष रहता है। कई फार्मासिस्ट महीनों में एक-दो बार आते हैं और वेतन उनको दिया जा रहा है। जिला महिला चिकित्सालय, अयोध्या में

कार्यरत श्री मनोज कुमार वर्मा, फार्मासिस्ट से अपने पद का कार्य न करा कर आफिस का समस्त कार्य, लेखा व वित्तीय कार्य मुख्य चिकित्सा अधीक्षक इन्हीं से करवाते हैं। जिससे यह अपने पद का कोई कार्य न कर चिकित्सालय में व्यापक पैमाने पर धांधली व भ्रष्टाचार कर रहे हैं। ये अपने पद से संबंधित क्या कार्य करते हैं, गोपनीय जांच करायी जाये। इसी तरह अन्य फार्मासिस्ट को भी लिपिक कार्य आवंटित है, जो लिपिकीय कार्यों का दुरूपयोग करते हुए भ्रष्टाचार कर रहें हैं। यहां तक श्री मनोज कुमार वर्मा को अधिकतर स्टॉफ फार्मासिस्ट न समझकर बाबू जानते हैं, इनके कार्यों एवं दायित्वों की जांच की जाये, दोषी पाये जाने पर ऐसे कार्मिकों को अन्य जनपद स्थानान्तरित किया जाए। उक्त के संबंध में निदेशक(प्रशासन) के उक्त पत्र द्वारा मुख्य चिकित्सा अधीक्षक, जिला महिला चिकित्सालय, अयोध्या को निर्देशित किया गया कि उल्लिखित शिकायतों की जांच कर अपनी स्पष्ट आख्या सात कार्य दिवस में उपलब्ध करायें।

मुख्य चिकित्सा अधीक्षक, जिला महिला चिकित्सालय, अयोध्या ने पत्र दिनांक 08.06.2023 द्वारा बिन्दुवार आख्या निम्नवत उपलब्ध करायी गयी:-

1. लिपिक संवर्ग के समस्त कार्य वर्तमान में तैनात श्री राजेन्द्र कुमार, आशुलिपिक द्वारा ही किये जा रहे हैं।
2. समस्त जिला महिला अस्पताल का स्टाफ प्रतिदिवस अपनी-अपनी डियुटी करते हैं। जिला महिला अस्पताल में समस्त स्टाफ की बायोमीट्रिक उपस्थिति दर्ज होती है, जिसके आधार

पर वेतन आहरित किया जाता है। अनुपस्थिति की दशा में संबंधित का अनुपस्थित दिवस का वेतन देय नहीं होता है।

3. श्री मनोज कुमार वर्मा, फार्मासिस्ट द्वारा अपने पद का कार्य डियुटी रोस्टर के अनुसार किया जा रहा है। वर्तमान समय में श्री मनोज कुमार वर्मा मुख्य औषधि भण्डार में प्रवीण कुमार दुबे चीफ फार्मासिस्ट के साथ सहयोग एवं जेम पोर्टल पर क्रय किये हुए आइटम को कनसाइनी के रूप में कार्य कर रहे हैं तथा श्री मनोज कुमार वर्मा, फार्मासिस्ट द्वारा कार्यालय का कोई कार्य नहीं किया जाता है।

(ग) क्या उक्त का सम्पूर्ण विवरण सदन की मेज पर रखेंगे?	उपरोक्तानुसार।
(घ) यदि नहीं, तो क्यों और कब तक उक्त पत्र में किये गये अनुरोध पर कार्यवाही कराते हुए विलम्ब करने वाले कार्मिकों का उत्तरदायित्व निर्धारित करायेंगे?	प्रश्न नहीं उठता।

ब्रजेश पाठक

उप मुख्यमंत्री।